न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक A 1475–I / 2002 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–6–2015	अपीलार्थी की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसीलदार वसूली द्वारा दिनांक 30–5–2001 को आदेश पारित कर आपत्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण कर निरस्त की गई हैं । तहसीलदार का आदेश अन्तिम स्वरूप का है, जिसके विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(1) (क) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत होगी, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया गया है, और अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि उपरोक्त वर्णित वैधानिरक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रचलन योग्य नहीं है, अपीलार्थी की अपील अग्राह्य की गई, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

A. 1475 - PBR/2002

M/s Devpriya Alloya Limited,
Through Its Director Shri Davendra Dewara,
R/o Jaora Compound Indore.

Appellant.

Versus.

1. Chairman MPEB,
Shakti Bhawan Vidut Nagar Jabalpur.

2. Chief Electrical Engineer Commercial,
Shakti Bhawan Vidut Nagar Jabalpur.

3. Additional Collector Dhar ,
Collector Office Dhar (M.P.)

4. Additional Tehseeldar,
Tehseeldar Office Collector Dhar (M.P.)

Respondents

APPEAL UNDER SECTION